



आईएस से संबंधित एडीएफ ने की पूर्वी...

लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र

श्रेयस अय्यर ने नेट गेंदबाज जसकिरण...

दिल्ली में 8 मार्च को लागू हो सकती है 2500 रुपए वाली महिला सम्मान योजना!

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा दे सकती है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए देने का वादा किया था। माना जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद अब दिल्ली सरकार अपने इसी वादे को 8 मार्च को पूरा कर सकती है। खबर है कि भाजपा महिलाओं के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। ऐसे में

माना जा रहा है कि इसी कार्यक्रम में भाजपा महिलाओं को लेकर अपने सबसे बड़े वादे पर कुछ ऐलान कर सकती है। इस बारे में जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बात की गई तो उन्होंने कहा, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है और मुझे लगता है कि देश में हर दिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करने और उन्हें साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा 8 मार्च की तारीख आने दीजाए, चीजें जल्द ही साफ हो जाएंगी।

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, एक घायल

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के थाना हरगांव में शनिवार को चीनी मिल जा रहे गधे से लदा ट्रक हरगांव नगर पंचायत के सामने अनियंत्रित होकर पलट गया जिसकी चपेट में आने से एक ई रिक्शा पर सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का हरगांव अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पाकर नगर पंचायत अध्यक्ष एवं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से ऑटो रिक्शा पर पलटे वाहन को हटवाया। सीतापुर सदर उप जिलाधिकारी अभिनव यादव ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हद गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत हरगांव लहरपुर मार्ग पर कस्बा हरगांव में नगर पंचायत के सामने एक होकर ऑटो रिक्शा एवं पास की दुकानों पर पलट गया। ट्रक को तुरंत जेसीबी मशीन से गाने को हटवाया गया लेकिन इस बीच में सरवन पुत्र मेड़ाई निवासी बेनीपुर बाजपुर एवं गुरु पुत्र विनायक निवासी बेनीपुर की मृत्यु हो गई जबकि श्रीमती मंकाशा निवासी काजी टोला हरगांव गंभीर रूप से घायल हो गई। श्री यादव ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर शीघ्र ही ओवरलॉड गाड़ियों की चेकिंग का सचन अभियान चलाया जाएगा।

पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

एंटी-स्मॉग गन पर जोर, दिल्ली में प्रदूषण रोकने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

एजेंसी

नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ी बैठक की। बैठक के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ बड़े होटल, कुछ बड़े कार्यालय परिसर, दिल्ली हवाई अड्डा, बड़े निर्माण स्थल हैं। हम उन सभी के लिए अपने यहां प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तुरंत एंटी-स्मॉग गन



लगाया अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों में स्मॉग गन लगाया अनिवार्य करने जा रहे हैं। मंत्री ने आगे बताया कि हम दिल्ली के सभी होटलों में स्मॉग गन लगाया अनिवार्य करने जा रहे हैं। इसी तरह, हम इसे सभी व्यावसायिक परिसरों के लिए अनिवार्य बनाने जा रहे हैं। हमने आज निर्णय लिया है कि क्लाइड सीडिंग के लिए हमें जो भी अनुमति चाहिए, हम लेंगे और हम यथेष्ट सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में गंभीर प्रदूषण हो, तो क्लाइड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई जा सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। सिरसा ने पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ बैठक की। इससे पहले सिरसा ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा, हमारा मिशन स्वच्छ हवा और पानी सुनिश्चित करके दिल्ली को एक स्वस्थ शहर बनाना है और हम इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लगाया अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों में स्मॉग गन लगाया अनिवार्य करने जा रहे हैं। मंत्री ने आगे बताया कि हम दिल्ली के सभी होटलों में स्मॉग गन लगाया अनिवार्य करने जा रहे हैं। इसी तरह, हम इसे सभी व्यावसायिक परिसरों के लिए अनिवार्य बनाने जा रहे हैं। हमने आज निर्णय लिया है कि क्लाइड सीडिंग के लिए हमें जो भी अनुमति चाहिए, हम लेंगे और हम यथेष्ट सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में गंभीर प्रदूषण हो, तो क्लाइड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई जा सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। सिरसा ने पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ बैठक की। इससे पहले सिरसा ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा, हमारा मिशन स्वच्छ हवा और पानी सुनिश्चित करके दिल्ली को एक स्वस्थ शहर बनाना है और हम इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2000 रुपये के नोटों की वापसी 98.18 प्रतिशत पर: आरबीआई

नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को कहा कि 28 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने तक 2000 रुपये के 98.18 प्रतिशत करेंसी नोट प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही, यह भी कहा कि ये बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के नोटों की कुल कीमत 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये थी, जब 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी। यह 28 फरवरी, 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 6,471 करोड़ रुपये रह गई है। इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में रहे 2000 रुपये के नोटों में से 98.18 प्रतिशत वापस आ चुके हैं।

गोरखपुर मस्जिद पर प्रशासन का एक्सन अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू

एजेंसी

गोरखपुर। गोरखपुर में चार मंजिला अवैध मस्जिद पर प्रशासन का एक्सन। गोरखपुर विकास अधिकरण जीडीए ने भेजा था नोटिस। अवैध मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में प्रशासन की नजर इन दिनों अवैध मस्जिदों पर टिकी हुई है। पहले कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद मेरठ में 85 साल पुरानी जहांगीर खां मस्जिद को बीते दिनों पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में जीडीए द्वारा हटवाया गया और अब गोरखपुर में भी एक मस्जिद को जीडीए ने 15 दिनों में खुद



तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। जिसे अब तोड़ा जा रहा है। गोरखपुर में घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसेमिल भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। बीते 7 माह पहले नगर निगम टीम ने बोलडोजर की मदद से इस पूरे अवैध कब्जे को खाली कराया। अब यहां

जल्द ही मल्टीलेबल काम्प्लेक्स बनाया जाएगा, लेकिन इसी जमीन के 520 स्क्वायर फीट में तीन मंजिला मस्जिद का निर्माण हुआ है। आपको बता दें कि बिना स्वीकृत के यहां तीन मंजिला मस्जिद का निर्माण हुआ है। जिसको गिराने के लिए जीडीए द्वारा एक नोटिस जारी किया था।

छोटे निवेशकों के हित में पारदर्शी बाजार नियामक जरूरी: राहुल

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के कारण सचे कोहराम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि छोटे निवेशकों के हित के लिए वर्तमान माहौल में पारदर्शी बाजार नियामक व्यवस्था की सख्त जरूरत है। श्री गांधी ने शनिवार को कहा कि शेयर बाजार में भ्रूचाल आया हुआ है और ऐसी स्थिति में छोटे निवेशकों को हो रहा नुकसान उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। उनका कहना है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा को जरूरी बताते हुए कहा कि इसके लिए पारदर्शी निवेदक व्यवस्था



आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब-जब बाजार गिरता है, खुदरा निवेशक का ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मेरे लिए मध्यमवर्ग से आने वाले इन खुदरा निवेशकों के बचत, हितों और निवेश की रक्षा करना सबसे अहम है-और इसके लिए सबसे जरूरी है पारदर्शी बाजार नियामक।

प्राकृतिक खेती को विस्तार देगी योगी सरकार

खर्च करेगी 270.62 करोड़ रुपए, जन, जमीन और जल के लिए संजीवनी है रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती

एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को और विस्तार देगी। सरकार ने तय किया है कि अब सिर्फ गंगा ही नहीं स्थानीय नदियों के दोनों किनारे पर 5४ किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी। इस बाबत 1886 क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार इस पर 270.62 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अधिकृत सूर्यो ने बताया कि हाल में हुई राज्य स्तरीय कृषि समिति की बैठक में इस कार्ययोजना को मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके पूर्व कैबिनेट में भी



प्राकृतिक खेती और खेत तालाब योजना के लिए इसके पूर्व भी 1191.51 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। सूर्यो के अनुसार, हाल ही

में सरकार की ओर से प्रस्तुत बजट में भी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 124 करोड़

रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार की योजना है कि प्रदेश में गंगा सहित सभी स्थानीय नदियों जिन जिलों से गुजरती हैं उनके दोनों किनारों पर एक दायरे में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों की जगह उपज बढ़ाने और फसलों के सामयिक संरक्षण के लिए पूरी तरह जैविक उत्पादों का प्रयोग हो ताकि लीचिंग रिसाव के जरिए रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का जहर इन नदियों में घुलकर उनको प्रदूषित न कर सके।

उल्लेखनीय है कि गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों में पहले से ही नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार गंगा के किनारे के 1000 से अधिक गांवों में प्राकृतिक खेती हो रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 54 जनपदों में परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित की जा रही है। सरकार की मंशा निराश्रित गोवंश के नाते सबसे प्रभावित बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिहाज से उत्तर प्रदेश का हब बनाना है।

RNI: UPHIN/2012/45286

शकुन टाइम्स
निष्पक्ष खबरें निर्भीक आवाज
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र (प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण जिले में तहसील और ब्लॉक स्तर पर संवाददाता की

प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया

यदि आप भी समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाना चाहते है आवाज तो शकुन टाइम्स दे रहा है आपको एक बेहतरीन मौका

अधिक जानाकारी के लिए अपना नाम व जिला हमें WhatsApp करें

9935781155, 9415052283

